



न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक सांचौर, जिला-जालोर

पीठासीन अधिकारी :- प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :- 306/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :- 2010/00105

प्रार्थीया

जमना पुत्री किस्तुरा फौत
के कायम मुकाम

अ-जेताराम पुत्र धर्माराम वगैरह

अप्रार्थीगण

रुगनाथ पुत्र चौथाराम वगैरह

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :- 21.08.2013

उपस्थिति :-

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 25.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सेड़िया, पटवार हल्का गुन्दाउ में मुझ प्रार्थीया की मालिकाना हक हकूक की पुश्तैनी आराजी खसरा नंबर 564 रकबा 4.68 हैक्टेयर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.05 हैक्टेयर आई हुई है जिसमें 1/2 हिस्सा मुझ प्रार्थीया का पुश्तैनी जन्मसिद्ध हकहकूक का था तथा मुझ प्रार्थीया के पिता स्व. किस्तुरा वल्द पना फौत होने पर 1/2 हिस्सा में मुझ प्रार्थीया का मालिकाना हकहकूक व कब्जा काश्त का आया हुआ है। जिसका लगान भी प्रार्थीया पुश्तैनी रूप से नियमानुसार अदा करती आ रही हूं। उक्त आराजी को आगे प्रार्थना-पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित को जाएगी। वादग्रस्त आराजी के पुराना खसरा नंबर 754 रकबा 29 बीघा दर्ज थे जिसके द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा संख्या 563 रकबा 0.05 हैक्टेयर व खसरा नंबर 564 रकबा 4.68 हैक्टेयर तजवीज हुए। वादग्रस्त भूमि में स्व. किस्तुरा के फौत होने पर मुझ प्रार्थीया एवं झंवता का नाम बराबर कानूनी रूप से दर्ज करना था जो नहीं कर मुझ प्रार्थीया को मेरे पुश्तैनी हकहकूक से हमेशा के लिए वंचित कर दिया व स्व. झंवता के नाम विधि विरुद्ध व अवैध रूप से दर्ज इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर स्व. झंवता ने अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि अवैध व विधि विरु, रूप से अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान कर दी जिससे स्व झंवता को अपने हिस्से से अधिक आराजी बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था तत्पश्चात कोहली के नाम भूमि अवैध रूप से दर्ज कर दी गई। आज से 2-3 वर्ष पूर्व कोहली भी नाऔलाद फौत हो चुकी है जिससे उक्त संपूर्ण आराजी में प्रार्थीया मालिकाना हकहकूक प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी होने से मुझ प्रार्थीया के नाम खातेदारी

अधिकारों की घोषणा करवाने की हकदार होने से दावा खातेदारी घोषणा का पेश है। अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि वांके मौजा सेड़िया के खसरा संख्या 564 रकबा 4.68 हैक्टेयर, खसरा नंबर 563 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि में मेरे 1/2 हिस्से की भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग में व कब्जा काश्त में प्रतिवादी/ अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें तथा भूमि आगे किसी को बेचान न करें एवं मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 04 ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र सारहीन होने से खारिज फरमावें तथा मुझ अप्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर सहज व शांतिपूर्ण कब्जा काश्त है तथा भूमि मुझ अप्रार्थी के मालिकाना हकहकूक की है जिस पर प्रार्थीया मुझ अप्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में न तो स्वयं न ही किसी अन्य व्यक्ति से किसी प्रकार की दखलंदाजी या नुक़्शामन ही करें, इस हेतु काउण्टर टी.आई. बहक मुझ अप्रार्थी विरुद्ध प्रार्थीया सादिर फरमाई जावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

:- आदेश :-

अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 1 विक्रय नहीं करे तथा अप्रार्थीगण मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुनार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



Om
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)
जिला-जालोर

Om
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)
जिला-जालोर